बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– रे0/योजना–12/13

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–

विषय– मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना (2012–17) अंतर्गत वन विभाग द्वारा वन भूमि पर लगाए गए तसर पौधों के संपोषण कार्य हेतु वर्त्तमान वर्ष 2016–17 में कुल रु0 7,74,38,000/– (सात करोड़ चौहत्तर लाख अड़तीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना (2012–17) अंतर्गत वन विभाग द्वारा वन भूमि पर लगाए गए तसर पौधों के संपोषण कार्य हेतु वर्त्तमान वर्ष 2016–17 में कुल रु0 7,74,38,000/– (सात करोड़ चौहत्तर लाख अड़तीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्नवत देने की कृपा की है–

क्रमांक	मद	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	राशि (रू0)
1	वर्ष 2014–15 में लगाए गए तसर पौधों के वर्ष 2015–16 में प्रथम संपोषण की बकाया राशि	4170 का शेष	24670154/–
2	वर्ष 2014–15 में लगाए गए तसर पौधो का वर्तमान वर्ष 2016–17 में द्वितीय संपोषण	4170	30840565/–
3	वर्ष 2015–16 में लगाए गए तसर पौधों का वर्तमान वर्ष 2016–17 में प्रथम संपोषण	1950.10	21927332/–
	कुल		**77438051/– या 77438000/–**

(रू0 सात करोड़ चौहत्तर लाख अड़तीस हजार मात्र)

2. उपर्युक्त राशि की स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के पत्रांक 01/2013–तसर–03/JFM दिनांक 09.01.2017 के आलोक में की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन इसमें वर्णित प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी बजट शीर्ष मुख्यशीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00 लघु शीर्ष–107 रेशम उत्पादन उद्योग, माँग संख्या 23, उपशीर्ष 0101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना–रेशम का विकास विपत्र कोड P2851001070101 राज्य योजना स्कीम कोड IND–5444, विषय शीर्ष–0201 मजदूरी मद में रू0 3,85,00,000/–(तीन करोड़ पचासी लाख) मात्र, मुख्यशीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00 लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 23, उपशीर्ष 0105 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना रेशम का विकास विपत्र कोड P2851007890105 राज्य योजना स्कीम कोड IND–5444, विषय शीर्ष–0201 मजदूरी मद में रू0 3,70,00,000/– (तीन करोड़ सत्तर लाख) मात्र एवं मुख्यशीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00 लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना माँग संख्या 23 उपशीर्ष 0106 रेशम का विकास विपत्र कोड P2851007960106 राज्य योजना स्कीम कोड IND–5444, विषय शीर्ष–0201 मजदूरी मद में रू0 19,38,000/– (उन्नीस लाख अड़तीस हजार) मात्र अर्थात कुल राशि रू0 7,74,38,000/–(सात करोड़ चौहत्तर लाख अड़तीस हजार) मात्र विकलित होगा। इसके लिए बजट उपबंध पुर्नविनियोग के माध्यम से की गई है जिसका स्वीकृत्यादेश संख्या 6654 दिनांक 22.12.2016, 6651 दिनांक 22.12.2016 एवं 6650 दिनांक 22.12.2016 है।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से BTC–51 प्रपत्र पर मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार राज्य वन विकास अभिकरण, बिहार, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करते हुए इस राशि को अभिकरण के सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना में संधारित पी0 एल0 खाता संख्या–PLA 262 में जमा किया जायेगा।

5. इस योजना के नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे, जो योजना का अनुश्रवण करेंगे।

6. इस योजना के कार्यान्वयन में विभागीय संकल्प संख्या 2316 दिनांक 14.05.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

8. यह राज्यादेश संचिका संख्या–रे0/यो0–12/13 के पृ0 104/टि0 पर दि0 02.03.2017 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

9. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 वि(2) दिनांक 17.06.1998 के आलोक में किया जाएगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0/योजना–12/13 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना/सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0/योजना–12/13 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)/ मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका/जमूई/नवादा/कैमूर/प0 चम्पारण/मधुबनी/सहायक उद्योग निदेशक (रे0), भागलपुर/ पटना/मुजफ्फरपुर/अग्र परियोजना पदाधिकारी (तसर), इनारावरण कटोरिया, बांका/श्यामबाजार, बांका/गंगटामोड़, मुंगेर/अधौरा, कैमूर/कौवाकोल, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रे0/योजना–12/13 804 पटना, दिनांक– 03-03-17

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा–1(स0), उद्योग विभाग एवं योजना शाखा–1(स0)/आई0टी0 (प्रबंधक), उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।